दिनांक 29.12.2007 को मेसर्स छ.ग. राज्य विद्युत मंडल, भैयाथान, सरगुजा में प्रस्तावित 3x500 मेगावाट ताप विद्युत गृह के सम्बंध में की गई लोक सुनवाई का विवरण :–

मेसर्स छ.ग. राज्य विद्युत मंडल, भैयाथान, सरगुजा में प्रस्तावित 3x500 मेगावाट ताप विद्युत गृह के सम्बंध में लोक सुनवाई हेतु किये गये आवेदन के परिपेक्ष्य में दिनांक 27.11.2007 को स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक भास्कर, नवभारत, हरिभूमि एवं दिनांक 28.11.2007 को राष्ट्रीय समाचार पत्र टाईम्स आफ इण्डिया में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित की जाकर दिनांक 29.12.2007 को लोक सुनवाई की तिथि निश्चित की गई थी। उक्त अवधि में परियोजना के सम्बंध में ग्राम–लोधिमा एवं ग्रामपंचायत मसिरा के ग्रामवासियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर में आपत्ति प्रस्तुत किया गया है। जिसे लोक सुनवाई के दौरान पढ़कर सुनाया गया। तथा उसका जवाब उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान दिया गया है।

दिनांक 29.12.2007 को मेसर्स छ.ग. राज्य विद्युत मंडल, भैयाथान, सरगुजा में प्रस्तावित 3x500 मेगावाट ताप विद्युत गृह हेतु 29.12.2007 को ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–मसीरा, जिला–सरगुजा में समय दोपहर 12.30 बजे से श्री व्ही. के. धुर्वे, अपर कलेक्टर/ए.डी.एम. के पर्यवेक्षण एवं अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई।

सर्वप्रथम प्रबंधन की ओर से श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता द्वारा उद्योग के सम्बंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया । उसके पश्चात अपर कलेक्टर द्वारा उपस्थित जन समुदाय से परियोजना बावत् विचार रखने हेतु कहा गया।

उपस्थित ग्रामवासियों, जन–प्रतिनिधियों द्वारा उद्योग प्रबंधन के समक्ष रखे गये विचार तथा उद्योग प्रबंधन द्वारा दिया गया जवाब निम्नानुसार है :–

1. स्पष्ट होना चाहिए कि जमीन के बदले नौकरी मिलेगा । इसके अलावा सरकारी जमीन में जो कि बहतु ज्यादा है। उसमें परियोजना स्थापित क्यों नहीं किया गया। हमारी कृषि भूमि को आवासीय भूमि के उपयोग के लिये न लिया जाय। शासकीय भूमि में आवासीय मकान बनाया जाय। (श्री सहदेव राजवाड़े, ग्राम–नेवरा)

   राज्य पुर्नवास नीति 2007 विद्युत मंडल को बाध्य करता है कि प्रावधान के अनुसार नौकरी दी जायेगी। आवेदक के अनुसार बतायी गई सरकारी जमीन का परीक्षण किया जायेगा। उपयुक्त पाये जाने पर स्वीकार्य होगी।

2. पब्लिक का मांग पूरा किया जाये। 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के लोगों को नौकरी दिया जाय। जब तक मांग पूरा नहीं होगा। उद्योग प्रारम्भ करने नहीं दिया जायेगा। (श्री मनिलाल)

   18 वर्ष से अधिक और शासकीय नौकरी के लिये अधिकतम आयु वर्ग के मध्य लोगों को आर्हता के अनुसार नौकरी दी जायेगी।

3. उद्योग खुलने से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे कॉलरी खुलने से अभी तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला वैसे ही इस परियोजना के खुलने से तो नहीं होगा।जब तक हमें नौकरी उचित मुआवजा, स्पष्ट पुनर्वास नीति नहीं उपलब्ध कराया जावेगा। कोई उद्योग नहीं खुलने देंगे। (श्री जयनाथ सिंह केराम, ग्राम–देवीपुर)

   राज्य की आदर्श पुर्नवास नीति 2007 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया जायेगा। और ग्राम–मसीरा, लोधिमा, सिरसी, रगदा, चोपन में अर्जित की जाने वाली भूमि का अनुमानित मुआवजा राशि का 80 प्रतिशत राशि शासन को जमा की जा चुकी है। और प्रावधान के अनुसार आर्हता के अनुसार नौकरी का प्रावधान है।

4. ग्राम –सिरसी में भी कालोनी बनाई जाय। (श्री साबरन अली, ग्राम–सिरसी)

   प्रस्ताव पर मंडल स्तर की चर्चा की जावेगी।

5. पुर्नवास की व्यवस्था हो बच्चे आगे बढ़ें, साधन सुविधा उपलब्ध हो । (श्री ललित कुमार मिश्रा, ग्राम–सुन्दरपुर)

   पुर्नस्थापित लोगों को पुर्नवासित ग्राम में पृथक–पृथक मकान बनाकर और उस स्थान पर स्कूल, रोड, बिजली, कम्युनिटी सेन्टर इत्यादि का प्रावधान है। और उन्हें अपने घरेलू सामान ले जाने के लिये रू. 11,000/– तथा मवेशियों को ले जाने हेतु रू. 1,000/–दिया जाना प्रस्तावित है। यह पर्नवासित ग्राम परियोजना के कालोनी क्षेत्र में ही प्रावधान किया गया है।

6. पुर्नवास नीति के तहत् जो एस.ई.सी.एल. में हो रहा है। यहां तो नहीं होगा। जमीन के बदले नौकरी तथा जो गरीब हैं जिनके जमीन नहीं जा रहा है उनकों भी नौकरी देना होगा। (श्री सूरजलाल रवि, ग्राम–तिलसिवां)

   छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, राज्य शासन की संस्था है। और शासन की पुर्नवास नीति को अवश्य पालन कर रहा है। नीति के तहत् मुआवजा और नौकरी आर्हता के अनुसार दिये जाने के लिये मंडल बाध्य है।

7. हमकों आपत्ति है प्लांट खुलने से (श्री मोहन, ग्राम–मसिरा)

   प्लांट शासन की मंशा के अनुसार खोला जाना है। तथा शासन की नीति के अनुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति की जानी है।

8. हमारे जमीन में चार लोगों के नाम पट्टा है और दस लोग साझेदार हैं तो उसमें एक को नौकरी मिलेगा बाकी लोग क्या करेंगे। (श्री मोती देवांगन, ग्राम–नेवरा)

   सभी पट्टेदारों के आश्रितों को 18 वर्ष से अधिक के आयु वाले को पृथक–पृथक परिवार मानकर आदर्श पुर्नवास नीति के तहत् आर्हता के अनुसार सभी को नौकरी दी जावेगी।

9. हमारी जमीन जाने के बाद नौकारी का जो प्रावधान है। उसमें एक लाख रूपये मांगा जाता है। तो नौकरी मुफ्त में मिलेगा या एक लाख रूपये देने के बाद। जिसके पास जमीन नहीं है उसका भी कुछ उपाय होना चाहिए। (श्री विक्रम प्रसाद कुशवाहा, ग्राम–सिरसी)

नही, यह शासन की नीति के प्रावधान के तहत् नौकरी दी जावेगी। और अन्य किसी प्रकार का व्यय नहीं होगा, यह स्पष्ट है।

10. मैं अपने खाते की जमीन नहीं देना चाहता । (श्री सुन्दरराम, ग्राम–सिरसी)

शासन के मंशा अनुसार परियोजना के लाभ इत्यादि के बारे में जानकारी दी जायेगी। और उन्हें सहमत करने का प्रयास किया जायेगा।

11. जो कालोनी नेवरा में बनाया जा रहा है उसे ग्राम–सिरसी में बनाया जाय। (श्री दशरथ राम देवांगन, ग्राम–सिरसी)

प्रस्ताव का पुनः परीक्षण किया जायेगा। ओर उच्च स्तर पर चर्चा कर निर्णय लिया जायेगा ।

12. जमीन के बदले जो नौकरी दी जायेगी वह एक पुश्त के लिये दी जायेगी। क्या अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। भूमि अधिग्रहण में क्या–क्या सुविधाएं मिलेंगी। स्पष्ट जानकारी दी जाय। किस नियम के तहत् भू–अधिग्रहण किया जा रहा है। जमीन के बदले जमीन का प्रावधान है कि नहीं जानकारी दें। (श्री शंकरलाल, ग्राम–नेववरा)

जमीन के बदले नौकरी मिलने के पश्चात् वह परियोजना का कर्मी होगा। और परियोजना के सेवा अधिनियम के प्रदत्त प्रावधानों के तहत् अनुकम्पा नियुक्ती दी जायेगी। भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य शासन की आदर्श पुर्नवास नीति 2007 के अनुसार समस्त प्रावधानों के तहत् लाभ दिये जायेंगे एवं जमीन के बदले जमीन न देकर जमीन बाजार मूल्य के आधार पर वास्तविक मुआवजा राशि दिया जायेगा।

13. मुआवजा बाद में मिले लेकिन नौकरी पहले मिलना चाहिए। (श्री शुकुल प्रसाद, ग्राम–सुन्दरपुर)

प्रथम मुआवजा दिया जायेगा। तत्पश्चात् नौकरी दिया जायेगा।

14. जों 100 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है उसे अतिग्रहित न करके जो डांड भूमि है उसे अधिग्रहित किया जाय। जहां मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। (श्री घनश्याम राजवाड़े, ग्राम–मसिरा)

इस जमीन का तकनीकी परीक्षण किये जाने पर जमीन परियोजना के लिये उपयुक्त नहीं पाई गयी।

15. हम दो–तीन भाई हैं और बहन भी है। बहन ससुराल में रहती है तो उसके लिये क्या प्रावधान है। (श्री अवध विहारी, ग्राम–लोधिमा)

अगर बहन भी खातेदार है तो उसे राज्य पुर्नवास नीति के तहत् प्रदत्त लाभ दिये जायेंगे।

16. उपजाउ खेती का उचित मुआवजा दिया जायेगा कि नहीं जैसे एस.ई.सी.एल. में आज तक मुआवजा एवं नौकरी नहीं दिया गया है। रोजगार दिया जायेगा तो स्थायी या अस्थायी दिया जायेगा जानकारी दें। (श्री हरिप्रसाद यादव, ग्राम–मसिरा)

जमीन का उचित मुआवजा दिया जायेगा। और नौकरी परियोजना में स्थायी आर्हता अनुसार होगी।

17. पांच भाई हैं जिसमें एक पढ़ा लिखा है तो क्या पढ़े हुए व्यक्ति को ही रोजगार दिया जायेगा या सभी को। (श्री बसंत राम, ग्राम–मसीरा)

जो पढ़ें हैं उन्हें नौकरी दी जायेगी और जो पढ़ें नहीं हैं उन्हें न्यूनतम रोजगार योजना के तहत् न्यूनतम मजदूरी दी जायेगी।

18. मैने दस जगह पौधे लगायें हैं ऐसे वृक्ष लगाये गये हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम आये। सभी भूमि में वृक्षारोपण कर दिया गया है। औषधीय पौधे लगा लिया गया है । (श्री ललन राय राजवाड़े, ग्राम–करवां)

मंडल प्रयास करेगा कि इनके वृक्षारोपण को परियोजना की हरित पट्टी के उपयोग में लाया जाये । और वे वृक्षारोपण को बचाने का प्रयास किया जायेगा।

अपर कलेक्टर, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा द्वारा अन्त में लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों को लोक सुनवाई के विवरण की जानकारी दी जाकर कार्यवाही समाप्त घोषित की गई ।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
अंबिकापुर

अपर कलेक्टर
अंबिकापुर, जिला–सरगुजा